

कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक़दारी)-द्वितीय, उत्तरप्रदेश प्रयागराज ।

पत्रांक:नि.वि.-02/पेंशन अधिवर्षता से॰नि॰/03/ 516

दिनांक- 08-06-2022

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी शासकीय सेवा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त अपने नाम के सम्मुख लिखित तिथि से सेवा निवृत्त होंगे।

माह 08/2024 से माह 07/2026 तक सेवा निवृत्त हिने वाले खंडीय लेखाधिकारियों की सूची					
क्रम संख्या	ब्यक्तिगत संख्या	नाम	पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
01	810	जगदीशप्रसाद मीना	व.ख.ले.	05.08.1964	31.08.2024
02	804	शिशिर कान्त	व.ख.ले.	25.09.1964	30.09.2024
03	838	धीरेन्द्र कुमार	व.ख.ले.	27.09.1964	30.09.2024
04	793	जमुना प्रसाद	व.ख.ले.	05.12.1964	31.12.2024
05	822	राम राज	व.ख.ले.	01.01.1965	31.12.2024
06	836	लालजी सरोज	व.ख.ले.	02.01.1965	31.01.2025
07	783	बाल कृष्ण सिंह	व.ख.ले.	15.03.1965	31.03.2025
08	823	राम फेर	व.ख.ले.	27.03.1965	31.03.2025
09	765	सुशील कुमार	व.ख.ले.	27.04.1965	30.04.2025
10	1144	मंजू शौरे	ख.ले.-1	27.04.1965	30.04.2025
11	770	संदीप मिश्रा	व.ख.ले.	20.05.1965	31.05.2025
12	790	अनित बाबू शुक्ला	व.ख.ले.	01.07.1965	30.06.2025
13	885	मदन लाल	ख.ले.-1	03.06.1965	30.06.2025
14	841	रमेश कुमार	व.ख.ले.	27.09.1965	30.09.2025
15	828	निश्चय कुमार	व.ख.ले.	02.10.1965	31.10.2025
16	799	राजेन्द्र कुमार मिश्रा	व.ख.ले.	21.11.1965	30.11.2025
17	832	राजेश रंजन	व.ख.ले.	15.11.1965	30.11.2025
18	1039	कान्ति प्रसाद	ख.ले.-1	05.01.1966	31.01.2026
19	788	अमलेंदु शेखर	व.ख.ले.	10.01.1966	31.01.2026
20	833	हरेन्द्र कुमार	व.ख.ले.	03.03.1966	31.03.2026
21	1087	राकेश कुमार सरोज	ख.ले.-1	18.03.1966	31.03.2026
22	785	अमित जैन	व.ख.ले.	04.04.1966	30.04.2026
23	786	दिनेश सिंह	व.ख.ले.	30.05.1966	31.05.2026
24	773	तेज नरायन सिंह	व.ख.ले.	13.05.1966	31.05.2026
25	772	चन्द्र प्रकाश राय	व.ख.ले.	30.06.1966	30.06.2026
26	924	कादु राम मीना	व.ख.ले.	10.07.1966	31.07.2026

1.संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी / अधिशासी अभियन्ताओं / कार्य अधीक्षकों आदि से अपेक्षा की जाती है कि उनके खण्ड / कार्यालय में नियुक्त खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि को सम्यक रूप से जाँच करके देख लें और उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई खंडीय लेखाधिकारी माह अगस्त-2024 से जुलाई-2026 तक 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर रहा हो तो इसकी सूचना पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

2.उपरोक्त सूची में वर्णित नाम का खंडीय लेखाधिकारी यदि उनके खण्ड कार्यालय में नियुक्त हैं तो उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि का मिलान सूची में अंकित जन्म तिथि से कर ले तथा यदि कोई अन्तर प्रकाश में आये तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें ।

3.सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा भेजे जायेंगे जिसे तीन प्रतियों में वांछित विवरण भरकर सेवा पुस्तिका सहित इस कार्यालय को भेजना आवश्यक है ।

4.सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर समय से कर लिया जाये तथा पेंशन प्रकरण सेवा निवृत्ति से 6 माह पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये । प्रकरण बिलम्ब से अथवा अपूर्ण भेजने पर सेवानिवृत्तिक लाभों के निस्तारण में बिलम्ब होगा ।

5.किसी भी स्थिति में अवकाश नगदीकरण, अनन्तिम पेंशन, उपादान का भुगतान इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना न किया जाये ।

6.सेवा निवृत्ति के दिन खंडीय लेखाधिकारियों से इस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें ।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार / डी०ए०सी०सी०

पत्रांक:नि.वि.-02/पेंशन अधिवर्षता से०नि०/03/ 517-518

दिनांक-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.श्रीवरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी / खंडीय लेखाधिकारीको इस आशय से प्रेषित कि अपना पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर सेवा निवृत्ति के छः माह पूर्व इस कार्यालय को तीन प्रतियों में अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भेजें ।

2.अधिशासी अभियन्ता / कार्य अधीक्षकको इस आशय से प्रेषित कि माह 08/2024 से 07/2026 तक 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले खंडीय लेखाकारों / खंडीय लेखाधिकारियों की सूची जन्म तिथि सहित इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि०वि०-2